दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY जी / G.377

भारतीय रेल (संशेधन) अधिनियम/ INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ACT काम के घंटों से संबंधित विनियम/HOURS OF EMPLOYMENT REGULATIONS

ड्यूटी रोस्टर / Duty Roster

	मंडल के .		बुंड पर			₹	प्टेशन में .	विभाग में नियुक्ति और					के रूप में वर्गीकृत					का ड्यूटी रोस्टर ।						
Duty Roster of					employed in Dept. a					t Station on .													on.	
							गाने की अवधि						kly / Weel	-										
ड्यूटी के घंटे							hours(a)							(ख					गह / (b)]					
		चारी 'क' /Employee 'A'				कर्मचारी 'ख' /Employee 'B'					कर्मचारी 'ग' /Employee 'C'					कर्मचारी 'घ' /Employee 'D'RG/LR				एवजी कर्मचारी/Rest Giver				
दिन / Day	ड्यूटी पर (प्रारंभिक काम के प्रारंगि और पूरक कार्य को घंटे और On (प्रारंभिक पूरक duty(including और पूरक कार्य P.& C. work) छोड़कर) Hours of duty P.& Of duty P.&		पूरक कार्य के घंटे Hours	विश्राम के घंटे Hours of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty(including P.& C. work)		काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक	प्रारंभिक और पूरक कार्य के	विश्राम के घंटे Hours of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty (including P.& C. work)		काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(exc l.P.&C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&.C. work	विश्राम के घंटे Hours of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty (including P.& C. work)		काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(excl. P.&C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&.C. work	विश्रा म के घंटे Hour s of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty(includin g P.& C. work)		काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(exc l.P.&C. work)	और पूरक कार्य के घंटे Hours of	विश्राम के घंटे Hours of Rest
	से/ तक/ From To				से/ From	तक/ To				से/ From	तक/ To				से/ From	तक/ To				से/ From	तक / To			
रविवार/ Sunday																								
सोमवार/ Monday																								
मंगलवार/ Tuesday																								
बुधवार/ Wednesday																								
गुरूवार/ Thursday																								
शुक्रवार/ Friday																								
शनिवार/ Saturday																								
कुल/Total																								
	बशर्तें कि ऐसा कुल स	मय 14 मिनट से the time shown ceeding 14 min	े अधिक न हो in the roster outes	I r and /or de								(c) 'I The m (घ्) मूलर	' workers— p naximum per तः सविराम कार	preparatory missible is नगर 15 से 3	and/or Co 3 hours a 30 मिनट तव	omplementar week. कका प्रारंभिकः	क और/या पूरक ry work for a po और /या पूरक कार्य a period between	eriod between f 30 मिनट की इ	15 and 30 ड्यूटी के रूप	minutes v	vill be con एगा । अनुमत	nsidered to be । अधिकतम समय	duty for 30 । नीचे दिखए अन्	minutes.

- Preparatory Complementary work should count as duty to the extent shown below -----
- (क) निरंतर मूलत: सविराम और गहन कामगारों के मामले में -15 मिनट के कम अवधि को ड्यूटी नहीं माना जाएगा और उसे रोस्टर में उल्लिखित नहीं किया जाएगा।
- In the case of 'C', I and I' workers -period of less than 15 minutes will not count as period of duty and should not be mentioned in the roster
- (ख) निरंतर कामगार-(1) प्रतिदिन 15 से लेकर 45 मिनट से कम समय तक का प्रारंभिक और/या पूरक कार्य आधे घंटे के कार्य के रूप में माना जाएगा।
- (b) C worker-
- (i) Preparatory and or Complementary work between 15 minutes and less than 45minutes per day ;shall be treated as ½ hour's work
 - (ii)प्रतिदिन 45 मिनट से लेकर एक घंटे तक के प्रारंभिक और/या पूरक कार्य को एक घंटे के कार्य के रूप में माना जाएगा । प्रति सप्ताह अनुमान अधिकतम समय 6घंटे है ।

Preparatory and or Complementary work for a period between 45 minutes and one hour Per day will be treated as one hour's work. The maximum permissible is 6hours a week.

Officer	
दिनांक/Date	
पदनाम/Designation	

The maximum permissible be being as shown below--

विश्राम घरों, जलगारों आदि के रखवालों , सैलून परिचारकों और मार्गस्थ छोटे स्टेशनों में नियुक्त ऐसे मूलत: सविराम कर्मचायरियों के मामलों में जिनको, उनके ड्यूटी स्थान से 0.5 कि.मी. के अंदर आवास के लिए मकान की व्यवस्थ है -3घंटे।

(ii) वाकी 'मूलत: ' सविराम कामगार-4-1/2 घंटे

Rest of the 'E. I' workers—4-1/2 hours.

(उनके मामले में 30 से 45 मिनट तक के समय के प्रारंभिक और/या पूरक कार्य को 45 मिनट के कर्य के रूप में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।) (In their case preparatory and/or Complementary work for period between 30 and 45 minutes should be rounded off to 45 minutes

अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of